न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

26/19 सन्

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा आर. ए. एस

1. अमराराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर
2. चुनाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर
3. भंवराराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर
4. रामूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर

बनाम

1. कानाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी हरिनगर हालनिवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
2. मांगीलाल पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी हरिनगर हालनिवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
3. रूपाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी हरिनगर हालनिवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
4. मोहनी पुत्री अनाराम पत्नि कुम्भाराम जाति जाट निवासी हरिनगर हालनिवासी नोसरिया तहसील श्रीडूंगरगढ़
5. लादू पुत्री अनाराम पत्नि मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर हालनिवासी नोसरिया तहसील श्रीडूंगरगढ़
6. भंवरीदेवी पत्नि स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
7. पप्पूराम पुत्र स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
8. सुखाराम पुत्र स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
9. सम्पू पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
10. तुलछा पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
11. सावित्री पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
12. सुमन पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिनगर हाल निवासी हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड संशोधन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति

1. वादीगण 1 ता 4 की ओर से एडवोकेट ज्ञानाराम चौधरी उपस्थित
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के ओर से एडवोकेट दिनदयाल प्रजापत व एडवोकेट अरविन्द चौधरी उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 14.02.2020

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति है। स्वर्गीय जेठाराम पुत्र बोथाराम निवासी बीदासर वादीगण के दादा तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 के दादा प्रतिवादी 6 के दादा ससुर व प्रतिवादीगण 7 ता 12 के पड़दादा थें। स्वर्गीय जेठाराम के कब्जा काश्त के खेत

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर..

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

ग्राम बीदासर मे खसरा नम्बर 1029 जिसके नये नंबर 1046, 1047, 1049 बनकर नये राजस्व ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर मे आ गये। इसी प्रकार ग्राम इन्दपालसर बड़ा तहसील श्री डूंगरगढ के पुराना ख. 215, 216 भी जेठाराम के कब्जा काश्त के थें जिनके नया खसरा नं.131, 132 ,133 बनकर नये राजस्व ग्राम हथाणा तहसील श्री डूंगरगढ मे आ गये है। जेठाराम के स्वर्गवास पश्चात उक्त खेतो पर कब्जा काश्त उनके पुत्रो मालाराम व अन्नाराम का रहा है। मालाराम वादीगण के पिता थें तथा अन्नाराम प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता प्रतिवादी 6 के ससुर तथा प्रतिवादीगण 7 ता 12 के दादा लगते थे। स्व.जेठाराम के जीवनकाल से ही उपरोक्त खेतो को मालाराम व अनाराम सुंयक्त कब्जा काश्त करते थें। जेठाराम का स्वर्गवास 2018 मे हो गया था। उसके बाद समत 2022 मे मालाराम व अन्नाराम अलग अलग परिवारो मे रहने लगे। तथा उपरोक्त खेतो का पारिवारिक मौखिक विभाजन कर ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर के ख.नं. 1046, 1047, 1049 मालाराम के हिस्सा पांति मे आये तथा ग्राम हथाणा तहसील श्री डूंगरगढ के खसरा नं.131, 132, 133 अन्नाराम के हिस्सा पांति मे आये। मालाराम व अन्नाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण स्वर्गीय मालाराम के वारिसान है ।जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 12 स्वर्गीय अन्नाराम के वारिसान है। इस प्रकार पिछले 50 वर्षो से ग्रम हरिनगर तहसील बीदासर वाले खेतो पर वादीगण का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। तथा ग्राम हथाणा तहसील श्री डूंगरगढ़ वाले खेतो पर प्रतिवादीगण 1 ता 12 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा इसी अनुरूप अपने अपने कब्जा काश्त खेतो मे टयूबबेल, कुंड व पक्की ढाणिया बनाकर अलग अलग निवास करते आ रहें है। परन्तु सेटलमेंट के समय सेटलमेंट कर्मचारियो ने हरिनगर के ख.न. 1047 व 1049 की खातेदारी अकेले अनाराम के नाम दर्ज करदी जिसका उन्हे अधिकार नही था। तथा स्व.अनाराम के स्वर्गवास पश्चात इन खेतो की खातेदारी प्रतिवादीगण सं.1 ता 5 व इनकी माता स्व.धापी तथा प्रतिवादी 6 ता 12 के पति/पिता स्वर्गीय नारायणराम के नाम दर्ज हो गई। धापी व नारायणराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 12 ही है। तथा खसरा नम्बर 1046 जो मालाराम व अन्नाराम के संयुक्त खातेदारी का था। मालाराम के स्वर्गवास पश्चात 1/2 हिस्सा उनके पुत्रों वादीगण 1 ता 4 तथा शेष 1/2 हिस्सा की खातेदारी अभी भी स्वर्गीय अन्नाराम के नाम दर्ज चली आ रही है। अन्नाराम के वारिसान भी प्रतिवादीगण 1 ता 12 ही है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के ढाणियों में रहने वाले अनपढ़ किसान है। इसलिये उन्हे खातेदारी का ज्ञान नहीं था। जब उन्हे खातेदारी का ज्ञान हुवा तो उन्होने प्रतिवादीगण 1 ता 12 से निवेदन किया कि ग्राम हरिनगर वाले खेतों की खातेदारी वह वादीगण के नाम करवा देवें। प्रतिवादीगण काफी समय तो टालमटोल करते रहे व दिनांक 01.10.2019 को साफ इन्कार हो गये तथा वादीगण को धमकी दी कि वे खातेदारी की आड़ में वादीगण के कब्जा काश्त खेतों पर जबरन कब्जा करेंगें। तब वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया यही वाद का कारण है। पारिवारिक मौखिक विभाजन के मुताबिक वादगत खेत रोही हरिनगर गत 50 वर्षो से वादीगण के कब्जा काश्त में चले आ रहे है। वादगत भूमि ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार है। तथा ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर के खसरा नम्बर 1046 के 1/2 हिस्सा से स्वर्गीय अनाराम तथा खसरा नम्बर 1047,1049 से प्रतिवादीगण 1 ता 5 स्वयं के तथा उनकी माता व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 की सास/दादी धापी पत्नि अन्नाराम वा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के पति/पिता नारायणराम का नाम हटाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। आदि आदि पेश किया।

लगातार 3 पर..

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण 1 ता 12 तरफ से एडवोकेट दीनदयाल प्रजापत व अरविन्द चौधरी ने वकालत नामा पेश किये। प्रतिवादीगण 1 ता 12 की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया गया । तथा प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार राज ने भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने दिनांक 07.02.2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया। जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पी डब्लु 1रामुराम व पी डब्लु 2 चुनाराम के बयान दर्ज करवाये तथा वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में (1) जमाबन्दी समत 2002 खसरा नम्बर 1029 (2) जमाबन्दी समत 2011 से 2014 (3) पर्चा सेटलमेन्ट समत 2021 (4) जमाबन्दी समत 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1047, 1049 व जमाबन्दी समत 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1046 आदि दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श करवायी गई। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया बहस वकील वादी सूनी गई। मुताबिक राजीनामा के भी ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर के खसरा नम्बर 1046 तादादी 13.2155 हैक्टर के 1/2 हिस्सा में अन्नाराम का नाम हटाकर सम्पूर्ण खेत वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 1047 तादादी 20.3607 हैक्टर व खसरा नम्बर 1049 तादादी 10.1803 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कानाराम , मांगीलाल, रूपाराम, मोहनी व लादू ने अपना 5/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण की माता/सास/दादी स्वर्गीय धापी के नाम 1/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण 6 ता 12 के पति/ पिता स्वर्गीय नारायणराम के नाम 1/7 हिस्सा भूमि खातेदारी से हटाकर वादीगण के नाम दर्ज करने की प्रतिवादीगण 1 ता 12 ने सहमति जताई है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली पर आये सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ा व राजीनामा के तथ्यों पर भी गौर किया दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी समत 2002 व जमाबन्दी समत 2011 से 2014 से साबित होता है कि रोही बीदासर के खसरा नम्बर 1029 वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज जेठाराम के कब्जा काश्त का रहा है। जिसमें से सेटलमेन्ट के समय समत 2021 में नये नम्बर 1046,1047,1049 बनकर वर्तमान में राजस्व ग्राम हरिनगर में शामिल हुये है। उक्त खेत वादीगण व प्रतिवादीगण के पुस्तैनी संयुक्त खातेदारी के रहे है। तथा मुताबिक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण क पूर्वज मालाराम व अन्नाराम द्वारा पारिवारिक मौखिक समझौता द्वारा किये गये विभाजन के आधार पर पिछले 50 वर्षो से वादीगण के ही कब्जा काश्त में चले आ रहे है। राजीनामा दिनांक 07.02.2020 के अनुसार वादगत खेत रोही हरिनगर के खसरा नम्बर 1046,1047, 1049 की सम्पूर्ण खातेदारी वादीगण के नाम कराने मे प्रतिवादीगण 1 ता 12 भी सहमत है। इस प्रकार दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम हरिनगर के खेत खसरा नम्बर 1046 तादादी 13.2155 हैक्टर में 1/2 हिस्सा से अन्नाराम पुत्र जेठाराम का नाम हटाकर सम्पूर्ण खेत वादीगण अमराराम, चुनाराम, भंवराराम, रामुराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1047 तादादी 20.3607 हैक्टर व खसरा नम्बर 1049 तादादी 10.1803 हैक्टर में प्रतिवादीगण कानाराम, मांगीलाल, रूपाराम, मोहनी, लादू के नाम 5/7 हिस्सा व स्वर्गीय धापी व स्वर्गीय नारायणराम के नाम 2/7 हिस्सा भूमि से उनके नाम हटाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर सम्पूर्ण खेत राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादीगण अमराराम, चुनाराम, भंवराराम, रामुराम के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner